



Neutral Citation No.- 2026:AHC:18852

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-37889 वर्ष 2024

सत्यम श्रीवास्तव आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: राकेश कुमार श्रीवास्तव

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: आकांक्षा श्रीवास्तव, अपर शासकीय अधिवक्ता, नरेंद्र देव शुक्ला, विवेक

शुक्ला

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची का पुनः पुकार किया गया। आज दायर किए गए तीसरे पूरक हलफनामे को अभिलेखों पर लिया जाता है।
 2. सूचनाकर्ता की ओर से तीन अधिवक्ता पेश हो रहे हैं और उनमें से एक सुश्री आकांक्षा श्रीवास्तव, अधिवक्ता ने आज अपनी बीमारी पर्ची भेजी है। इससे पहले की तारीख में भी, मामले को सूचनाकर्ता के अधिवक्ता की बीमारी पर्ची के आधार पर स्थगित कर दिया गया था।
 3. चूंकि एक से अधिक अधिवक्ता हैं और उनमें से केवल एक ने बीमारी के आधार पर स्थगन की मांग की है, इसलिए, न्यायालय को स्थगन के अनुरोध को स्वीकार नहीं करना उचित होगा।
- अश्वनी कुमार श्रीवास्तव बनाम डी. सेन गुप्ता अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बॉम्बे, 2008 एस.सी.सी. ऑनलाइन इला 723 में इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने कुछ इसी तरह की परिस्थितियों में निम्नानुसार देखते हुए स्थगन के अनुरोध को खारिज कर दिया है: -**



“20. इसके अलावा, जहां बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने अपीलकर्ता की ओर से अपना वकालतनामा दायर किया था, उनमें से एक द्वारा भेजी गई बीमारी पर्ची किसी को भी मामले को स्थगित करने का हकदार नहीं होगी।”

4. इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन की धारा 438 द०प्र०स० संख्या के तहत पारित दिनांक 31.01.2023 के अपने आदेश के माध्यम से इसी दृष्टिकोण को दोहराया गया है। - 2020 का 3501 (हमजा सुफियान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य)।

5. उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, मामले को स्थगित करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाता है।

6. आवेदक के अधिवक्ता श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, राज्य के राज्य विधि अधिकारी श्री आर.पी. पटेल को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।

7. प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदक द्वारा 2023 के केस अपराध संख्या-213 में धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 452, 302, 34, 325 और 120-बी भ०द०वि० और धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना-उतराव, जिला: प्रयागराज के तहत दायर किया गया है।

8. अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, सह-अभियुक्त व्यक्तियों ने 5-6 अज्ञात व्यक्तियों के साथ सूचनाकर्ता के बेटे पर हमला करने के बारे में कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अपने घर के अंदर भाग गया था, और आवेदक और अन्य सह-आरोपी व्यक्तियों ने उसका पीछा किया और ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव को घायल कर दिया, जिसके तहत आवेदक ने 12.11.2023 को रात लगभग 9:00 बजे अनिल श्रीवास्तव को चाकू से घायल कर दिया था।

9. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि प्राथमिकी में लगभग सोलह घंटे की देरी हुई है और उक्त देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। आवेदक का उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। बाद में उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। वह अपराध को पूरा करने का कोई मकसद नहीं रखता है, इस तरह, यह झूठे निहितार्थ का एक स्पष्ट मामला है। मृतक आवेदक का चाचा है, इसलिए उसके पास उक्त अपराध को पूरा करने का कोई कारण नहीं था। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 14.11.2023 से जेल में है और वह मुकदमे में सहयोग



करने के लिए तैयार है। यदि उसे ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

10. राज्य विधि अधिकारी ने ज़मानत याचिका का पुरजोर विरोध किया है।

11. 'एक्स' बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, 2024 INSC 909 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एक बार मुकदमा शुरू हो जाने के बाद, इसे अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप या तो दोषसिद्धि हो सकती है या आरोपी बरी हो सकता है। आरोप तय होने के बाद आरोपी को सामान्य रूप से ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए। बयान में यहां या वहां की विसंगतियों को देखकर भी इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

12. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक प्राथमिकी में मुख्य नामित आरोपी व्यक्ति है जिसने मृतक व्यक्ति की हत्या की है, इस तथ्य के साथ कि चार गवाहों की पहले ही जांच की जा चुकी है, मुझे आवेदक को ज़मानत देने के लिए यह उपयुक्त मामला नहीं लगता। ज़मानत आवेदन गुण-दोष से रहित पाया जाता है और तदनुसार, **खारिज** किया जाता है।

13. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत के मद्देनजर जैसा कि **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017)5 एस.सी.सी. 702** के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसलों में निर्धारित किया गया है; अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, तेजी से तय किया जाए।

14. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां ज़मानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षकारों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

28 जनवरी, 2026

(रवि कांत)

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)